

## जन सुनवाई विवरण

श्री अंशुल चावला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइंस इंटरलिक्ड विद स्टोन कशर, (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर), निकट ग्राम- छपरा, तहसील - पहाडी, जिला - भरतपुर (राजस्थान) की प्रस्तावित खनन उत्पादन क्षमता 2,96,460 (आर.ओ.एम.) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.20 हेक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आयोजित जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 का कार्यवृत्त विवरण (मिनिट्स)।

भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, क्रमांक एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.06 तथा यथा संशोधित दिसम्बर 2009 के Office Memorandum No. J-11015/387/2008-I A,11 (m) dated 28<sup>th</sup> Sep. 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत मै0 अंशुल चावला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइंस इंटरलिक्ड विद स्टोन कशर, (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर), निकट ग्राम- छपरा, तहसील - पहाडी, जिला - भरतपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित खनन उत्पादन क्षमता 2,96,460 (आर.ओ.एम.) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.20 हेक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में श्री रतन कुमार अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर, (जिला कलक्टर, भरतपुर के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में दिनांक 21.02.2023 को प्रातः 11.30 बजे, ग्राम, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा, तहसील- पहाडी, जिला - भरतपुर (राजस्थान) में जन सुनवाई आयोजित की गई।

जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है। जन सुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 19.01.2023 को सांध्य ज्योति दर्पण तथा राजस्थान पत्रिका, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई गयी थी जिसकी प्रतियां परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुये श्री विवेक गोयल, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा उपस्थित सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुये वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अन्तर्गत जन सुनवाई की आवश्यकता/प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया कि यह जनसुनवाई मै0 अंशुल चावला द्वारा प्रस्तावित मैसनरी स्टोन माइंस इंटरलिक्ड विद स्टोन कशर, (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हैक्टेयर), निकट ग्राम- छपरा, तहसील - पहाडी, जिला - भरतपुर, (राजस्थान) की प्रस्तावित खनन उत्पादन क्षमता 2,96,460 (आर.ओ.एम.) टन प्रतिवर्ष तथा प्रस्तावित कशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.20 हेक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा सम्मिलित) परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है।

श्री विवेक गोयल ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर एवं पधारे हुये समस्त ग्रामवासियों का अभिनंदन किया एवं जनसुनवाई की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुये कहा कि खनन परियोजना में प्रस्तावित परियोजना के बारे में जनचेतना का विकास एवं संचार होता है, साथ ही परियोजना के पर्यावरण के संरक्षण संबंधित जनमानस की सोच एवं सुझाव उपलब्ध हो जाते हैं। श्री विवेक गोयल ने बताया कि इस बैठक में उपस्थित जन, मौखिक एवं लिखित रूप से अपनी आपत्तियां, सुझाव/अपत्तियां राय दे सकते हैं।

तत्पश्चात् अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर की अनुमति से इकाई के तकनीकी परामर्शदाता श्रीमती कायनात अजीम द्वारा खनन परियोजना एवं खनन कार्य के पर्यावरणीय प्रभाव का प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण किया गया एवं पर्यावरण प्रभाव आंकलन के सारांश के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खदान इंटरलॉकड विद स्टोन कशर परियोजना द्वारा किस प्रकार परियोजना का विकास किया जायेगा।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी भरतपुर द्वारा पधारे गये लोगों से उक्त खनन परियोजना का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में सुझाव/आपत्ति/राय व्यक्त करने/प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

सर्वप्रथम श्री जुवैर जी निवासी ग्राम गंगोरा व तहसील पहाड़ी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि खनन पट्टाधारी द्वारा प्रायः स्वीकृति की शर्तों/नियमों/ प्रावधानों की अनदेखी की जाती है तथा अनियंत्रित ब्लास्टिंग से सगीपवर्ती मकानों में दरारें आ जाती हैं और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों का रोजगार का अवसर नहीं दिया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि स्वीकृति के शर्तों/नियमों की अक्षरशः अनुपालना की जायेगी तो उन्हें प्रस्तावित परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसके प्रत्युत्तर में श्री अंशुल चावला (परियोजना प्रस्तावक) द्वारा सभी ग्रामवासियों के साथ का आग्रह किया गया एवं उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि परियोजना में स्थानीय ग्रामीणों को ही रोजगार दिया जाएगा।

तत्पश्चात् वहीद खान जी निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि यदि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है तो उन्हें परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

तदोपरांत श्री बलवीर सिंह जी, निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाड़ी, जिला भरतपुर द्वारा आपत्ति जाहिर की गयी कि पहले से स्थापित खदान परियोजनाओं में प्रायः यह देखा गया है कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ भेदभाव का व्यवहार किया जाता है तथा उन्हें रोजगार के अवसर से वंचित रखा जाता है। उनके द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थल, अंजनी माता का मंदिर को क्षति न पहुंचे तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति के शर्तों/नियमों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

21

श्री इमरान खान जी निवासी ग्राम गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि खदान परियोजनायें ही स्थानीय रोजगार का बेहतर विकल्प है तथा प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय रोजगार का विकल्प मिलेगा। उन्होंने बताया कि यदि प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है तो उन्हें परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

तत्पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भरतपुर द्वारा जानकारी चाही गयी कि क्या प्रस्तावित खदान परियोजना में स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जाएगा और यदि स्टोन क्रशिंग का कार्य किया जाता है तो क्रशिंग गतिविधि में प्रदूषण रोकथाम हेतु क्या व्यवस्थाएँ की जाएंगी।


इसके प्रत्युत्तर में तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया किया गया कि क्रशिंग गतिविधि नियमानुसार ही की जायेगी तथा सभी आवश्यक प्रदूषण रोकथाम उपायों जैसे धूल दमन हेतु पानी का छिड़काव, मशीनों को ढकना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।


श्री रहमान जी निवासी ग्राम गंगोरा, तहसील पहाडी, जिला भरतपुर द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित परियोजना से स्थानीय धार्मिक महत्व के स्थल मस्जिद-मंदिर को क्षति न पहुँचे तथा प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिले तो उन्हें परियोजना से किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भरतपुर तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा पुनः आमजन से आग्रह किया कि यदि किसी भी व्यक्ति से इस परियोजना के बारे में सुझाव या शिकायत हो तो बैठक को अवगत करायें।

तदोपरांत कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर ने समीक्षात्मक उद्बोधन एवं धन्यवाद व्यक्त करते हुये बैठक में उपस्थित जन को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा रखे गये विचार रिकॉर्ड किये गये हैं। आपके विचार व सुझाव/आपत्तियाँ सभी सम्मिलित कर संबंधितों को भेजी जायेंगी, जिसके समय बिन्दुओं पर विचारोपरांत ही प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

अंत में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुये धन्यवाद के साथ पर्यावरणीय लोकसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

  
(विवेक गोयल)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रा.प्र.नि.मं., भरतपुर

  
(रमेश कुमार)  
अति. जिला कलेक्टर  
भरतपुर, (राज.)



### क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल  
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे  
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

### उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसर्स अंशुला चावला, गैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.20 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,96,460 (ROM) तथा प्रस्तावित राज प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.20 हेक्टेयर तथा क्लस्टर में कुल 14 खनन पट्टा अधिलिप्त) के लिये पर्यावरण स्वीकृति वाचक जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 11:30 AM से 12:15 PM तक, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	मोबाइल नं.	हस्ताक्षर
1	जगत कुमार	ADM		
2	सुनीता यादव	SDM		
3	विवेक सोन	RO, RECD, Bhanatke	9520345500	
4	R.N. Mangal	ME, Bhanatke	982827860	
5	Deekhees Singh	BDO	756975725	
6	Gunung Tripathi	TEHD, RECD	900732292	
7	अदीप	गंगोरा पहाडी	9828016718	
8	अदीप	गंगोरा पहाडी	9982413535	
9	अमलीर सिंह	गंगोरा पहाडी	8094797311	
10	दुका वाल सिंह	गंगोरा पहाडी	-	
11	समयचन्द शर्मा	गंगोरा पहाडी	9783971606	
12	मंगल सिंह सरदार	गंगोरा पहाडी	9001528661	
13	रहमान	गंगोरा पहाडी	8000975291	
14	रमजान	गंगोरा	-	
15	अमी जान	गंगोरा पहाडी	7568266872	
16	उस्मान	गंगोरा पहाडी	-	
17	जानेन्द्र कुमार	गंगोरा पहाडी	9057232112	
18	अमल	गंगोरा पहाडी	7978066462	
19	मुकेश	गंगोरा पहाडी	74270507	
20	तौलम	बिलासना पहाडी	7742878073	



### क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मंडल  
जिन्दल हॉस्पिटल के पीछे  
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर, भरतपुर (राज)

### उपस्थिति विवरण प्रपत्र

मैसर्स अंशुल चावला, मैसनरी स्टोन माइन्स इन्टरलिंकड विद स्टोन क्रशर (खनन पट्टा संख्या 01/2018, क्षेत्रफल 1.74 हेक्टेयर) निकट ग्राम छपरा, तहसील पहाडी जिला भरतपुर की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 2,96,460 (ROM) ROM तथा खनन पट्टा प्रस्तावित क्रशर उत्पादन क्षमता 1200 टी.पी.डी. (कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 14.20 हेक्टेयर तथा क्लस्टर में खनन पट्टा सम्मिलित) के लिये पर्यावरण स्वीकृति बाबत जन सुनवाई दिनांक 21.02.2023 को 11:30 AM से 12:15 PM तक, राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, गंगोरा तहसील पहाडी जिला भरतपुर का उपस्थिति विवरण :-

क्र.सं.	नाम	पता	सं.सं.	सं.सं.
1	सुकवीरका	पट्टा	9828138956	...
2	मनोज कुमार शर्मा	श्री. शक्ति निरी. बोटडफ्लैज	8449699961	...
3	हरेश्वरका	गंगोरा (पट्टा)	9902519540	...
4	...	गंगोरा	...	...
5	...	गंगोरा	850501133	...
6	...	गंगोरा	9887155713	...
7	...	गंगोरा	...	...
8	...	गंगोरा	9975270007	...
9	...	गंगोरा	7296960018	...
10	...	जयपुर नगर भरतपुर	9414025717	...
11	...	जयपुर नगर भरतपुर	9828139651	...
12	...	...	9811336703	...
13	...	...	9873770944	...
14	...	M.R.S गंगोरा	9482603522	...
15	...	V.O.S. सरपंच	9509515941	...
16	...	...	7240797115	...
17	Raynal Arzon	CRIPL Udaipur	800382518	...
18	...	...	7568341617	...
19	...	...	8930072266	...
20	Jitendra yada	U.I. mureli/ Banswa	9671555230	...
21	Sunjay Singh	Ad. Ad. Collector	9413614189	...